न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खंडवा
जिला खंडवा
समक्ष–(सैफी ताजिर तमन्ना)

Registration No-	SC NIA - 94/2020
Filing No-	815/2020
C.N.R. No-	MP-12010009742018
Filing Date-	12-02-2020
Date of order-	14-09-2024
Parties Name-	Sourabh Vs Nilkesh

14.09.2024 प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क्र.10 के समक्ष पेश।

परिवादी सह श्री प्रणय गुप्ता अधिवक्ता।
अभियुक्त सह श्री एम.आर. शेख अधिवक्ता।

प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक 07.08.24 को अभियुक्त एवं परिवादी, ने उपस्थित हेकर समझौता आवेदन 147 एन.आई.ए. का प्रस्तुत कर समझौता होना स्वीकार किया था एवं व्यक्त किया था कि परिवादी को चैक के पेठे संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है एवं कोई लेन देन शेष नही है। परिवादी प्रकरण चालाना नही चाहता है। परिवादी की पहचान श्री प्रणय गुप्ता अधिवक्ता द्वारा की गई है। अतः पहचान के संबंध में कोई विवाद नही है। समझौता बिना किसी डर दबाव लालच के किया गया है।

प्रस्तुत समझौता लोक हित में है।

चुंकि उभय पक्ष के मध्य स्वेच्छा पूर्वक लोक अदालत/ समझोता कार्यवाही में स्वेच्छा पूर्वक समझौता हुआ है। इसलिये *माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु* वाले मामले में दिये निर्देश के उद्देश्यो को प्राप्त करने और समझोता कार्यवाहियो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से न्यायालय उभय पक्ष के मध्य हुए स्वेच्छा पूर्वक समझौता एवं उससे दोनो पक्षो के मध्य मधुर संबधो की शुरूआत को दृष्टिगत रखते हुए और परिवादी की संतुष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं परिवादी को न्यायशुल्क भी प्राप्त हो जावेगा इसलिये न्यायदृष्टांत मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी विरूद्ध प्रतीक जैन एवं अन्य 2014 वाल्यूम–तीन जे.एल.जे. 243 एस सी के निर्णय के पैरा 24, 25, 26 में प्रतिपादित न्यायसिद्धांत एवं विधि के आलोक में अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह चैक में वर्णित राशि 2,10,000/– की एक प्रतिशत् राशि 2100/– जिला /तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की मद में जमा कर रसीद इस न्यायालय को आज ही पेश करें, तो समझौता स्वीकार किया जा सकेगा।

प्रकरण कुछ समय बाद पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

पुनश्चः

इसी स्तर पर अभियुक्त की ओर आदेशानुसार 2100/– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मद में जमा कर बुक क्र 39173 रसीद क्र. 14 की मूल प्रति प्रस्तुत की है। अतः चूंकि उभयपक्ष के मध्य स्वैच्छया पूर्वक समझौता हो गया है और अभियुक्त ने समझौता शुल्क भी जमा करा दिया है। अतः अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.ए. एक्ट के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

उक्त समझौता के परिणाम स्वरूप परिवादी न्यायशुल्क की राशि नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी को न्यायशुल्क वापसी प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा हो।

(सदस्य)	(पीठासीन अधिकारी)
01. श्री राजेश तिवारी अधि.	सैफी ताजिर तमन्ना
.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
02. अनिल बाहेती	खंडवा जिला खंडवा
सामाजिक कार्यकर्ता	(खंडपीठ क्र.10)

SAIFEE TAZER TAMMANA

Digitally signed by SAIFEE TAZER TAMMANA
Location: III Civil Judge, Junior Devision & JMFC Khandwa
Date: 2024.09.14 17:19:51 +0530